स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद।

https://www.asmcfirozabad.edu.in E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या– एफजैडडी/2024/1283 दिनांक– 04/09/2024

सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के विज्ञापन संख्याः–एफजैडडी/2024/516 दिनांक 05.06.2024 के क्रम में आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को वाक–इन–इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से **(संविदा)** के आधार पर भरे जाने हेतु बैवसाइट (www.asmcfirozabad.edu.in) पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पदों की संख्या निम्नवत् हैः–

क्र0स0	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह–आचार्य	सहायक आचार्य
1.	ऑर्थोपेडिक्स	*01 SC*	-	*01 EWS*
2.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	*01 UR*	-	*01 SC*** *01 OBC* *01 SC*
3.	ब्लड बैंक	*01 UR*	*01 UR*	-
4.	एनेस्थिसिया	*01 UR*	*01 UR*	*02 OBC*
5.	कम्युनिटी मेडिसिन	-	*01 OBC*	*01 UR****
6.	सामान्य मेडिसिन	*01 UR*	*01 OBC* *01 UR*	*02 OBC* *01 SC*
7.	बाल रोग	-	-	*01 ST*
8.	सामान्य सर्जरी	-	*01 OBC* *02 UR*	*01 UR*
9.	टी0बी0 एण्ड चैस्ट	-	*01 OBC*	-
10.	मानसिक रोग	-	*01 UR*	-
11.	चर्म एवं गुप्त रोग	-	-	*01 SC*
12.	नेत्र रोग	*01 OBC*	*01 OBC*	-
13.	ई0एन0टी0	*01 SC*	-	-
14.	पैथोलॉजी	-	*01 SC*	*01 OBC*
15.	फार्माकोलॉजी	*01 OBC*	-	-
16.	फोरेंसिक मेडिसिन	-	-	*01 UR*
17.	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	*01 OBC*
18.	रेडियो–डायग्नोसिस	*01 SC*	*01 SC*	*01 OBC*
19.	दन्त रोग	-	*01 SC*	-
20.	इमरजेन्सी मेडिसिन	*01 UR*	*01 SC*	*01 OBC* *01 UR*
21.	रेडियो–थेरेपी	*01 OBC*	*01 OBC*	*01 SC* *PHYSICIST (01 EWS)**
22.	पी0एम0आर0	*01 UR*	-	*01 UR*
	कुल–	**12**	**16**	**22**

* As per UPPSC Norms.

** Antenatal Medical Officer cum Assistant professor in the department of Obs & Gynae

*** Assistant Professor (U.H.T.C) in the Department of Community Medicine

नोट– *शासनादेश संख्या–1/180855/2022 दिनांक–29.04.2022 के अनुपालन में संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी 03 बार विज्ञापन प्रकाशित होने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो चौथी बार विज्ञापन प्रकाशित कर आरक्षित श्रेणी के पद पर, उक्त श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षकों का चयन किया जा सकेगा।*

अर्हताएं:– As per latest TEQ

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य को शासनादेश संख्या–109/2024/176/71–1–2024/71–1001/804/2020 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार नियत वेतन रू0 2,20,000/– सह–आचार्य को नियत वेतन रू0 1,60,000/– एवं सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 1,20,000/– प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/71–1–2017–जी–63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर,

PRINCIPAL
Autonomous State Medical College
Firozabad

2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु निर्गत शर्तें के अधीन नियत वेतन रू 2,20,000/—प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तें विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यार्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा।

2. **(विज्ञाप्ति विशिष्टता में)**:— आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष आचार्य को अनुपलब्धता में सह—आचार्य एवं सहायक आचार्य आवेदन कर सकते है एवं सह—आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष सह—आचार्य की अनुपलब्धता में सहायक आचार्य आवेदन कर सकते है।
3. चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है
4. एन0एम0सी0 नई दिल्ली द्वारा सहायक—आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा। ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नही करेगें।
5. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजो को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित/संविदा चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर अथवा तत्काल भी समाप्त की जा सकती है।
9. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित/संविदा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पुनः बढाया जा सकेगा।
10. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
11. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
12. संविदा आधरित नियुक्ति किसी भी समय एक माह की सुचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
13. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
14. साक्षाकात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें कि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
15. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
16. पदों की संख्या घटायी या बढायी जा सकती है।
17. समय—समय पर विज्ञप्ति बैवसाइट पर प्रदर्शित होती रहेगी।
18. इच्छुक अभ्यर्थी **दिनांक— 10.09.2024 (मंगलवार)** को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार को 01:00 PM बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते है।

04/09/24

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद।

PRINCIPAL
...omous State Medical College
Firozabad